[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 20th July, 2015

S.O. 1992 (E) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1124(E) dated the 29th October, 2003, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "Recycle Recover Reuse of plastic waste in an eco-friendly manner" by "Indian Centre for Plastics in the Environment, 2nd Floor, Kushesh Mansion, 22, Cawasji Patel Street and 48/54, Janmabhoomi Marg, Fort Mumbai – 400001", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.1424(E) dated the 4th October, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O.1262(E) dated the 18th May, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-2010 and which was extended further vide notification number S.O.663(E) dated the 12th March, 2013 for a period of three years beginning with financial year 2012-2013;

And whereas by notification number S.O.1424(E) dated 4th October, 2006 the address of the institution was changed;

And whereas by notification number S.O. 2605 (E) dated 14th October, 2009, the cost was enhanced from Rs. 10.00 crore to Rs. 20.00 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "Recycle Recover Reuse of plastic waste in an eco-friendly manner", which is being carried out by "Indian Centre for Plastics in the Environment, 2nd Floor, Kushesh Mansion, 22, Cawasji Patel Street and 48/54, Janmabhoomi Marg, Fort Mumbai – 400001", without any change in the approved cost of Rs. 20.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 205/2015 / F.No.V. 27015/2/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई, 2015

सां0 आ0 1992 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के सपष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1124 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "पर्यावरण में प्लास्टिक के लिए भारतीय केंद्र, दूसरा तल, कुशेश मैन्सन, 22, कावसाजी पटेल स्ट्रीट और 48/54, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट मुंबई-400001" द्वारा "पर्यावरण हितैषी तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट का पुरश्चक्रण पुनर्लाभ पुन:उपयोग" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 10 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 4 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1424 (अ०) के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 18 मई, 2009 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1262 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 12 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 663 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

जबकि दिनांक 4 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1424 (अ०) द्वारा संस्थान का पता बदल दिया गया था

और जबकि दिनांक 14 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2605 (अ०) द्वारा लागत को 10.00 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 20.00 करोड़ रूपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 12 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के सपष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "पर्यावरण में प्लास्टिक के लिए भारतीय केंद्र, दूसरा तल, कुशेश मैन्सन, 22, कावसाजी पटेल

स्ट्रीट और 48/54, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट मुंबई-400001'' द्वारा चलाई जा रही "पर्यावरण हितैषी तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट का पुरश्चक्रण पुनर्लाभ पुन:उपयोग'' की परियोजना अथवा स्कीम को 20.00 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[(सं0 205/2015 /फा0 सं0 वी -27015/2/2015 एस ओ(एन. सी)]

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)